इस शीर्ष अन्तर्गत योजनाओं के चयन से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया का Flow chart संलग्न है।

IX नाबार्ड योजनाओं का अनुश्रवण :–

9.1 सभी कार्य प्रमंडलों के प्रधान सहायक के द्वारा माह के पॉच तारीख को मुख्यालय स्तर से निर्गत विपत्र में सभी योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाता है एवं माह में एक बार सभी कार्यपालक अभियंताओं को मुख्यालय स्तर पर बैठक बुलाकर योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है।

9.2 सभी प्रमंडलों एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन का मुख्यालय स्तर पर ट्रांस वाइज प्रपत्र में योजना को अद्यतन किया जाता है।

9.3 गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा योजनाओं के गुणवत्ता की जाँच किया जाता है एवं नाबार्ड परियोजना के नोडल पदाधिकारी एवं सहायक अभियंताओं द्वारा भी सप्ताह में दो दिनों का क्षेत्र भ्रमण कार्य एवं योजनाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है।

9.4 जिन परियोजनाओं का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के अंदर प्रारंभ नहीं होता है, उन परियोजनाओं को Non Starter Projects में लिया जाता है एवं इन परियोजनाओं की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा रद्द कर दी जाती है।

X प्रतिपूर्ति दावा :–

10.1 नाबार्ड वित्त सम्पोषित योजनान्तर्गत कार्यान्वित हो रहे योजनाओं का मासिक/त्रैमासिक रूप से योजनाओं पर किये गये अद्यतन व्यय का ब्यौरा प्रतिपूर्ति दावा को प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है जिसे मुख्यालय स्तर पर प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाता है।

10.2 नाबार्ड द्वारा योजना पर व्यय किये गये राशि का 80% राशि वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाता है एवं इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसके आधार पर नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गये राशि को अद्यतन कर लिया जाता है।

10.3 80% राशि में से मोबीलाईजेशन 20% उपलब्ध कराये गये राशि का कुछ प्रतिशत प्रत्येक प्रतिपूर्ति दावा में से Adjust कर लिया जाता है।

10.4 योजना पूर्णता प्रतिवेदन (पी0सी0आर0):–

योजना को पूर्ण हो जाने पर नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता/पुल निर्माण निगम से सूचना प्राप्त कर नाबार्ड को उपलब्ध करा दिया जाता है। Annexure 'F' संलग्न।